Need to extend the benefits of government schemes to people living in areas registered in land records as bush-forests in Chhattisgarh - laid

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छतीसगढ़ के ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र के जंगल राजस्व रिकार्ड में बड़े झाड के जंगल भूमि के रूप में दर्ज होकर अनेक पीढ़ियों से यहाँ मकान बनाकर लोग निवासरत है, किन्तु ऐसे कब्जाधारियों को शासकीय योजनाओं जैसे आवास आदि का लाभ बड़े झाड के जंगल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। जबकि उक्त भूमि में अनेक वर्षों से जंगल ही नहीं है, केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि राज्य सरकार द्वारा घाँस जमीन पर काबिज लोगों की जमीन को आबादी घोषित कर आबादी पट्टा प्रदान किया जा रहा है। वहीं बड़े झाड़ में काबिज लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से कराए जाने की आवश्यकता है। अत: राजस्व विभाग से मैं पुरजोर मांग करता हूँ कि ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी काबिज लोगों के लिए उक्त नियम को शिथिल करते हुए अतिशीघ्र भूमि स्वामी का हक प्रदान किया जावे, ताकि योजना से वंचित लोग शासन की योजनाओं का लाभ ले सकें।